



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश संख्या-02/आ०प्र०(लेखा)-17/2019-03(आ०)

प्रेषक,

अभिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-30.05.2023

विषय :- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची में संविदा एवं बाह्य स्रोतीय व्यवस्था के तहत कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण/सम्मेलन में भाग लेने से संबंधित यात्रा विपत्रों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि 49,215/- (उनचास हजार दो सौ पन्द्रह) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-23(स्वी.) दिनांक-26.05.2023

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-274/बजट दिनांक-31.03.2023 के आलोक में निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा -

क्र०सं०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1.	मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र, उपशीर्ष-16-वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन, विरतुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, इकाई-35-प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-39-S-2245-80-101-16-00-03-35	49,215/- (उनचास हजार दो सौ पन्द्रह) रुपये मात्र

- यह आवंटन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची में संविदा एवं बाह्य स्रोतीय व्यवस्था के तहत कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण/सम्मेलन में भाग लेने से संबंधित यात्रा विपत्रों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य आपदा मोचन निधि अंतर्गत क्षमता संवर्द्धन मद के प्रशिक्षण व्यय इकाई में उपबंधित राशि से करने हेतु दी जा रही है।
- यह आवंटन दिनांक-24.08.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही सं०-01 में लिये गये निर्णय सं०-(iii) के आलोक में प्रदान की जा रही है।
- विभागीय कार्यालय आदेश सं.-79 दिनांक-02.02.2023 द्वारा श्री शक्ति कुमार, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, बोकारो एवं श्री संजय कुमार झा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, धनबाद को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद में दिनांक-30.01.2023 से 03.02.2023 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु रेल में सीट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सचिव के आदेशानुसार हवाई यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय कार्यालय आदेश सं.-104 दिनांक-09.02.2023 द्वारा श्री प्रभात कुमार, तकनीकी सहायक, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, राँची को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक-17.02.2023 को आयोजित NPDRR के तीसरे सत्र के Pre-event कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है।

5. आवंटित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से निम्न विवरणी अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को e-payment के माध्यम से किया जायेगा :-

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कुल भुगतये राशि
1	श्री शक्ति कुमार, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, बोकारो	25,426 /—
2	श्री संजय कुमार झा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, धनबाद	16,292 /—
3	श्री प्रभात कुमार, तकनीकी सहायक	7,497 /—
	कुल :-	49,215 /—

6. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है। सही विपत्र कोड एवं कोषागार संहिता में प्रतिपादित विपत्र में ही राशि की निकासी की जाय।
7. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 30 मार्च, 2024 के पूर्व ऑनलाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
8. आवंटित राशि के व्यय के क्रम में :-
- वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों का अक्षरशः पालन किया जाय।
 - Treasury Code, वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ii) अभिलेखों को अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
10. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(अमिताभ कोशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 02/आ०प्र०(लेखा)-17/2019-0.3(आ)

राँची दिनांक-30.05.2023

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के उप सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/अवर सचिव, प्रभारी बजट प्रशाखा/प्रशाखा-12 (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चार वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 17/2019/03(AA)

दिनांक - 30-May-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22458010116000335 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य 101 - विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र 16 - वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	30847	PRJRN001 VIJAY KUMAR UNDER SECT DISTER MANEGEMENT 35 - प्रशिक्षण व्यय	49,215.00 रुपये उनचास हजार दो सौ पंद्रह



योग:

रुपये उनचास हजार दो सौ पंद्रह

49,215.00

क्रमिक योग:

(AMITABH KAUSHAL)

SECRETARY